न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)
पीठासीन अधिकारी–सुनिता यादव, आर.ए.एस.
मुकदमा संख्याः–64/2018 प्रार्थना पत्र
श्रीमति नानी बाई उर्फ नानू बाई पत्नि रामप्रसाद खटीक, उम्र बालिग निवासी दादाबाड़ी–भीलवाड़ा तहसील व जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)
–––प्रार्थीया

बनाम

1–श्री कन्हैयालाल पिता हजारी बलाई, उम्र बालिग निवासी नीलकंठ मंदिर के पास,शास्त्रीनगर–भीलवाड़ा (राजस्थान)
2–श्रीमति गीता बाई पत्नि परसा बलाई, उम्र बालिग निवासी मलाण–भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा
3–श्री भैरूलाल पिता प्रताप बलाई, उम्र बालिग निवासी हलेड़ तहसील व जिला भीलवाड़ा
–श्रीबंशीलाल पिता कजोड़ बलाई, उम्र बालिग निवासी हलेड़ तहसील व जिला भीलवाड़ा
–श्री रामचन्द्र पिता देवी बलाई, उम्र बालिग निवासी हलेड़ तहसील व जिला भीलवाड़ा
–श्री पन्नालाल पिता रामा जी बलाई, उम्र बालिग निवासी हलेड़ तहसील व जिला भीलवाड़ा
–राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब, भीलवाड़ा तहसील व जिला भीलवाड़ा (राजस्थान) वगैराह
–––विपक्षीगण

––––––

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 राज0 भू0राजस्व अधिनियम 1956

:: नि र्ण य ::

दिनांकः–.23.5.2018

प्रार्थीया की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 रा0भू0राज0 नियम 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम हलेड़ पटवार हल्का हलेड..तहसील व । भीलवाड़ा में उसके खाते संयुक्त खातों की आराजी नम्बर 2185/1 रकबा 2 बीघा 6 बिस्वा, रकबा 14 बिस्वा कुल किता 2 रकबा 3 बीघा तथा खाता संख्या 354 में से आराजी नम्बर /3 रकबा 1 बीघा 3 बिस्वा, 2187/4 रकबा 2 बीघा,2187/5 रकबा 15 बिस्वा, 2189 रकबा 1 15 बिस्वा, 2190 रकबा 16 बिस्वा कुल किता 5 रकबा 6 बीघा 9 बिस्वा भूमि स्थित हैं। स्त भूमि के विपक्षीगण के मध्य आराजी मतदायिवा के सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमा विवाद उत्पन्न होता रहता हैं। जिसमें प्रार्थीया अपने खाते/संयुक्त खाते की भूमि की ाढ़ी के आदेश प्रदान कराये जावें।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 15.3.2018 को पंजीबद्ध किया प्रकरण को अवलोकनार्थ से यह बात सिद्ध है कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी के खाते एवं कब्जे की होने से पत्थरगढ़ी कराने का अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार ख में किसी प्रकार की हैरा–फैरी होने का अंदेशा नहीं है तथा न किसी प्रकार अधिकार ित किये जाते हैं। अतः इन तथ्यों को देखते हुये नैसर्गिक की न्यायिक सिद्वान्त के आधार पर न पत्र प्रार्थी स्वीकार योग्य है।

:: आ दे श ::

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 111–128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 का स्वीकार किया ग्राम ग्राम हलेड़ पटवार हल्का हलेड..तहसील व जिला भीलवाड़ा में उसके खाते संयुक्त खातों राजी नम्बर 2185/1 रकबा 2 बीघा 6 बिस्वा, 2186 रकबा 14 बिस्वा कुल किता 2 रकबा 3 ाथा खाता संख्या 354 में से आराजी नम्बर 2187/3 रकबा 1 बीघा 3 बिस्वा, 2187/4 रकबा .2187/5 रकबा 15 बिस्वा, 2189 रकबा 1 बीघा 15 बिस्वा, 2190 रकबा 16 बिस्वा कुल किता । 6 बीघा 9 बिस्वा भूमि के चारों तरफ सीमा की पुख्ता जानकारी किये जाने हेतु पत्थरगढ़ी ाने का आदेश दिया जाता हैं। पत्थरगढ़ी किये जाने हेतु भू–अभिलेख निरीक्षक सुवाणा को –रूपये (अक्षरेः–एक हजार रूपये मात्र.) कमिश्नर फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता हैं। फीस प्रार्थीया मौके पर जमा करावें। कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकारान् की मौजूदगी में कब्जे की यथास्थिति को बनाये रखते हुये मुस्तकील बिन्दु को आधार मानकर पत्थरगढ़ी की गर फसल खड़ी हो तो पत्थरगढ़ी नहीं की जावें।

उपखण्ड अधिकारी,
भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा

–तहसीलदार, भीलवाड़ा को भेजकर लेख है कि प्रार्थी द्वारा राशि जमा कराने पर नियमानुसार पत्थरगढ़ी की जाकर पालना रिपोर्ट 7 दिवस में प्रस्तुत करें।

Scanned by CamScanner